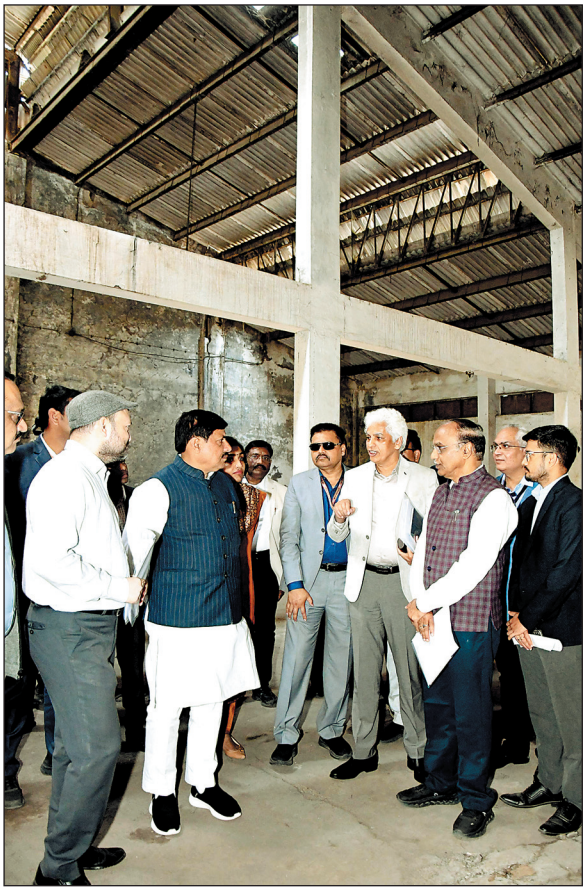


नव भारत



ज़हर खत्म, अब होगा लैंड यूज : डॉ. मोहन यादव

गैस कांड फैक्ट्री को पूर्ववर्ती सरकार ने बनाया भूतिया

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, गैस लीक की वजह से एक भयानक हादसा हुआ, यह उतना ही बड़ा कलंक है जैसा कांग्रेस शासन के दौरान भोपाल में हुआ था. हम इस घटना में मारे गए या प्रभावित हुए लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन यह हैरानी की बात है कि कांग्रेस ने एक के बाद एक पाप किए. पहले, उन्होंने इस इलाके को नज़रअंदाज़ किया, और फिर उन्होंने इस ज़हरीले कचरे के निपटारे में देरी की. मुझे

यादव ने शनिवार को भोपाल के आरिफ नगर स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का निरीक्षण किया एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने से ज़हरीली गैस का रिसाव कांग्रेस के शासन काल में घटी मध्यप्रदेश ही नहीं देश की सबसे भीषण त्रासदी थी. वर्ष 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात इस फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसायनाइड

(एमआईसी) गैस के दुष्प्रभाव के कारण भोपाल में मौत का तांडव हुआ था. गैस कांड के बाद कांग्रेस शासन ने इस क्षेत्र को लावारिस छोड़कर भी पाप किया. उन्होंने फैक्ट्री में फैले ज़हरीले कचरे को हटाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया और इस डरावने कांड में फैक्ट्री को भूतिया बनाने का काम किया. कांग्रेस के लोगों ने फैक्ट्री के मालिक एंडरसन को यहां से भागाने में मदद की. इसके लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए. केंद्र में यूपीए सरकार रहते हुए भी इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया.

माननीय मुख्यमंत्री जी का यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का निरीक्षण और मीडिया बाइट

यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर का सघन मुआयना करने के बाद लौटते वक्त मुख्यमंत्री डॉ. यादव को आरिफ नगर में पूजा कर रही एक महिला ने रोका। महिला के अनुरोध पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपना काफिला रुकवाया। मुख्यमंत्री सं महिला ने अनुरोध किया कि भगवान भोलेनाथ को 2 अगरबती लगा दीजिए। महिला ने अगरबती जलाकर मुख्यमंत्री को दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मूर्ति पर महिला के आग्रह पर अगरबती लगाकर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। उन्होंने यहां क्षेत्रीय महिलाओं से आत्मीयता से पूजा कि सब ठीक है, लाइली बहना के पैसे मिल रहे हैं ? इस पर लाइली बहनों ने कहा कि हाँ, उन्हें हर महीने 1500 रुपए मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्कूल जा रहे बच्चों से भी बातचीत की। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्कूली बच्चों के साथ खुद सेल्फी लेकर उन सबको खुश कर दिया. आरिफ नगर में एक महिला श्रीमती मंजु बाई ने बताया कि उसके पति बीमार हैं। कुछ आर्थिक मदद कर दीजिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्रीमती मंजु को दिलासा दिया और एक अन्य महिला श्रीमती प्रभा बाई कुशवाहा सहित दोनों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 50-50 हजार रुपए मौके पर ही मंजूर कर दिये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नगर निगम कमिश्नर भोपाल श्रीमती संस्कृति जैन को इन दोनों महिलाओं के बैंक खाता नंबर नोट कर जल्द से जल्द बीमारी सहायता राशि उन्हें पहुंचाने के निर्देश दिए।

जब काफिला रुका

गैस पीड़ितों के साथ हर कदम पर खड़ी है सरकार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर में बनेगा भोपाल गैस त्रासदी स्मारक

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि 2 और 3 दिसम्बर 1984 की दरमियानी रात भोपाल में मिथाइल आइसोसायनाइट (एमआईसी) गैस का रिसाव एक भीषण दुर्घटना थी। घटना में बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। करीब 40 साल तक रासायनिक कचरा यहां पड़ा रहा। हमारी सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में अब स्वच्छ हो चुके इस परिसर में भोपाल गैस त्रासदी में दिवंगत व्यक्तियों की स्मृति में 'एक स्मारक' बनाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार सभी गैस पीड़ितों के साथ हर कदम पर खड़ी है। प्रभावितों के कल्याण में हम कोई कमी नहीं रखेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शनिवार को भोपाल के आरिफ नगर स्थित यूनियन

कार्बाइड फैक्ट्री परिसर का गहनता से निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अधिकारियों से इस परिसर में स्मारक निर्माण के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय आलोक कुमार सिंह, आयुक्त जनसम्पर्क दीपक कुमार सक्सेना, संचालक गैस राहत स्वतंत्र कुमार सिंह, निगमायुक्त श्रीमती संस्कृति जैन और गैस त्रासदी राहत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने से ज़हरीली गैस का रिसाव मध्यप्रदेश की ही नहीं, देश की सबसे भीषण गैस त्रासदी थी। वर्ष 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात इस फैक्ट्री से गैस के दुष्प्रभाव के कारण भोपाल ने मौत का जो मंजर देखा, वह हमारी स्मृतियों से कभी हटोना नहीं। गैस त्रासदी के बाद तत्कालीन सरकार ने इस क्षेत्र को लावारिस छोड़कर बड़ी लापरवाही की। उन्होंने फैक्ट्री में फैले ज़हरीले कचरे को हटाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया और इस भीषण त्रासदी के बाद फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। तत्कालीन सरकार के जिम्मेदारों ने फैक्ट्री के मालिक वॉरेन एंडरसन को यहां से भाग जाने में मदद की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्र में यूपीए सरकार रहते हुए भी इस गैस प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अब सरकार ने कोर्ट के सभी निर्देशों पर अमल करते हुए पिछले साल यूनियन कार्बाइड के ज़हरीले कचरे का निष्पादन कराया। यह दुनिया के लिए एक संदेश भी है कि किस प्रकार आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से ज़हरीले कचरे को बिना पर्यावरण/मानव हानि के खत्म किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने राजधानी के माथे से इस कलंक को मिटाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शहरी विकास और सुशासन की व्यवस्थाएँ स्थापित करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने से ज़हरीली गैस का रिसाव मध्यप्रदेश की ही नहीं, देश की सबसे भीषण गैस त्रासदी थी। वर्ष 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात इस फैक्ट्री से गैस के दुष्प्रभाव के कारण भोपाल ने मौत का जो मंजर देखा, वह हमारी स्मृतियों से कभी हटोना नहीं। गैस त्रासदी के बाद तत्कालीन सरकार ने इस क्षेत्र को लावारिस छोड़कर बड़ी लापरवाही की। उन्होंने फैक्ट्री में फैले ज़हरीले कचरे को हटाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया और इस भीषण त्रासदी के बाद फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। तत्कालीन सरकार के जिम्मेदारों ने फैक्ट्री के मालिक वॉरेन एंडरसन को यहां से भाग जाने में मदद की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्र में यूपीए सरकार रहते हुए भी इस गैस प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अब सरकार ने कोर्ट के सभी निर्देशों पर अमल करते हुए पिछले साल यूनियन कार्बाइड के ज़हरीले कचरे का निष्पादन कराया। यह दुनिया के लिए एक संदेश भी है कि किस प्रकार आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से ज़हरीले कचरे को बिना पर्यावरण/मानव हानि के खत्म किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने राजधानी के माथे से इस कलंक को मिटाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शहरी विकास और सुशासन की व्यवस्थाएँ स्थापित करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने से ज़हरीली गैस का रिसाव मध्यप्रदेश की ही नहीं, देश की सबसे भीषण गैस त्रासदी थी। वर्ष 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात इस फैक्ट्री से गैस के दुष्प्रभाव के कारण भोपाल ने मौत का जो मंजर देखा, वह हमारी स्मृतियों से कभी हटोना नहीं। गैस त्रासदी के बाद तत्कालीन सरकार ने इस क्षेत्र को लावारिस छोड़कर बड़ी लापरवाही की। उन्होंने फैक्ट्री में फैले ज़हरीले कचरे को हटाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया और इस भीषण त्रासदी के बाद फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। तत्कालीन सरकार के जिम्मेदारों ने फैक्ट्री के मालिक वॉरेन एंडरसन को यहां से भाग जाने में मदद की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्र में यूपीए सरकार रहते हुए भी इस गैस प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अब सरकार ने कोर्ट के सभी निर्देशों पर अमल करते हुए पिछले साल यूनियन कार्बाइड के ज़हरीले कचरे का निष्पादन कराया। यह दुनिया के लिए एक संदेश भी है कि किस प्रकार आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से ज़हरीले कचरे को बिना पर्यावरण/मानव हानि के खत्म किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने राजधानी के माथे से इस कलंक को मिटाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शहरी विकास और सुशासन की व्यवस्थाएँ स्थापित करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने से ज़हरीली गैस का रिसाव मध्यप्रदेश की ही नहीं, देश की सबसे भीषण गैस त्रासदी थी। वर्ष 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात इस फैक्ट्री से गैस के दुष्प्रभाव के कारण भोपाल ने मौत का जो मंजर देखा, वह हमारी स्मृतियों से कभी हटोना नहीं। गैस त्रासदी के बाद तत्कालीन सरकार ने इस क्षेत्र को लावारिस छोड़कर बड़ी लापरवाही की। उन्होंने फैक्ट्री में फैले ज़हरीले कचरे को हटाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया और इस भीषण त्रासदी के बाद फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। तत्कालीन सरकार के जिम्मेदारों ने फैक्ट्री के मालिक वॉरेन एंडरसन को यहां से भाग जाने में मदद की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्र में यूपीए सरकार रहते हुए भी इस गैस प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अब सरकार ने कोर्ट के सभी निर्देशों पर अमल करते हुए पिछले साल यूनियन कार्बाइड के ज़हरीले कचरे का निष्पादन कराया। यह दुनिया के लिए एक संदेश भी है कि किस प्रकार आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से ज़हरीले कचरे को बिना पर्यावरण/मानव हानि के खत्म किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने राजधानी के माथे से इस कलंक को मिटाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शहरी विकास और सुशासन की व्यवस्थाएँ स्थापित करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने से ज़हरीली गैस का रिसाव मध्यप्रदेश की ही नहीं, देश की सबसे भीषण गैस त्रासदी थी। वर्ष 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात इस फैक्ट्री से गैस के दुष्प्रभाव के कारण भोपाल ने मौत का जो मंजर देखा, वह हमारी स्मृतियों से कभी हटोना नहीं। गैस त्रासदी के बाद तत्कालीन सरकार ने इस क्षेत्र को लावारिस छोड़कर बड़ी लापरवाही की। उन्होंने फैक्ट्री में फैले ज़हरीले कचरे को हटाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया और इस भीषण त्रासदी के बाद फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। तत्कालीन सरकार के जिम्मेदारों ने फैक्ट्री के मालिक वॉरेन एंडरसन को यहां से भाग जाने में मदद की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्र में यूपीए सरकार रहते हुए भी इस गैस प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अब सरकार ने कोर्ट के सभी निर्देशों पर अमल करते हुए पिछले साल यूनियन कार्बाइड के ज़हरीले कचरे का निष्पादन कराया। यह दुनिया के लिए एक संदेश भी है कि किस प्रकार आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से ज़हरीले कचरे को बिना पर्यावरण/मानव हानि के खत्म किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने राजधानी के माथे से इस कलंक को मिटाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शहरी विकास और सुशासन की व्यवस्थाएँ स्थापित करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने से ज़हरीली गैस का रिसाव मध्यप्रदेश की ही नहीं, देश की सबसे भीषण गैस त्रासदी थी। वर्ष 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात इस फैक्ट्री से गैस के दुष्प्रभाव के कारण भोपाल ने मौत का जो मंजर देखा, वह हमारी स्मृतियों से कभी हटोना नहीं। गैस त्रासदी के बाद तत्कालीन सरकार ने इस क्षेत्र को लावारिस छोड़कर बड़ी लापरवाही की। उन्होंने फैक्ट्री में फैले ज़हरीले कचरे को हटाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया और इस भीषण त्रासदी के बाद फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। तत्कालीन सरकार के जिम्मेदारों ने फैक्ट्री के मालिक वॉरेन एंडरसन को यहां से भाग जाने में मदद की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्र में यूपीए सरकार रहते हुए भी इस गैस प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अब सरकार ने कोर्ट के सभी निर्देशों पर अमल करते हुए पिछले साल यूनियन कार्बाइड के ज़हरीले कचरे का निष्पादन कराया। यह दुनिया के लिए एक संदेश भी है कि किस प्रकार आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से ज़हरीले कचरे को बिना पर्यावरण/मानव हानि के खत्म किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने राजधानी के माथे से इस कलंक को मिटाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शहरी विकास और सुशासन की व्यवस्थाएँ स्थापित करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने से ज़हरीली गैस का रिसाव मध्यप्रदेश की ही नहीं, देश की सबसे भीषण गैस त्रासदी थी। वर्ष 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात इस फैक्ट्री से गैस के दुष्प्रभाव के कारण भोपाल ने मौत का जो मंजर देखा, वह हमारी स्मृतियों से कभी हटोना नहीं। गैस त्रासदी के बाद तत्कालीन सरकार ने इस क्षेत्र को लावारिस छोड़कर बड़ी लापरवाही की। उन्होंने फैक्ट्री में फैले ज़हरीले कचरे को हटाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया और इस भीषण त्रासदी के बाद फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। तत्कालीन सरकार के जिम्मेदारों ने फैक्ट्री के मालिक वॉरेन एंडरसन को यहां से भाग जाने में मदद की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्र में यूपीए सरकार रहते हुए भी इस गैस प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अब सरकार ने कोर्ट के सभी निर्देशों पर अमल करते हुए पिछले साल यूनियन कार्बाइड के ज़हरीले कचरे का निष्पादन कराया। यह दुनिया के लिए एक संदेश भी है कि किस प्रकार आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से ज़हरीले कचरे को बिना पर्यावरण/मानव हानि के खत्म किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने राजधानी के माथे से इस कलंक को मिटाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शहरी विकास और सुशासन की व्यवस्थाएँ स्थापित करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है।

भोपाल गैस टाइम लाइन

13 सितंबर 1996
आरोपियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने के बाद, अदालत ने आरोपों में संशोधन किया और उन्हें धारा 304 (I) (लापरवाही से मृत्यु कारित करना), धारा 336 (एसे कार्य जो दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालें), धारा 337 (लापरवाही से चोट पहुंचाना) और अन्य धाराओं के अंतर्गत कर दिया गया।

2001
यूनियन कार्बाइड ने अपनी पूर्व भारतीय इकाई की कानूनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

2004
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि यूनियन कार्बाइड द्वारा दिए गए 470 मिलियन डॉलर की शेष राशि भी पीड़ितों को मुआवजे के रूप में वितरित की जाए। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रासायनिक पदार्थों के विनिर्देशन की मांग की गयी।

वर्ष - 2005
385.6 मीट्रिक टन रासायनिक पदार्थों को संग्रहित कर एक सुरक्षित शेड में रखा गया।

वर्ष - 2008
विनिर्देशन की कार्यवाही 06 सप्ताह में किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये। लाईम स्लज 39.6 मीट्रिक टन को सीपीसीबी का गार्डइलाइन अनुसार सफलतापूर्वक लैंडफिल किया गया।

7 जून 2010
मामले में सभी आठ आरोपियों को दोषी ठहराया गया परंतु सभी आठ दोषियों को जमानत दे दी गई।

वर्ष 2015
भारत सरकार द्वारा विनिर्देशन की कार्यवाही हेतु 310 करोड़ का प्रावधान किया गया। जून 2015 में 10 मीट्रिक टन का ट्रैयल रन सफलतापूर्वक किया गया।

वर्ष - 2021
शेष बचे 337 मीट्रिक टन पदार्थों के विनिर्देशन हेतु निविदा आमंत्रित की गयी।

वर्ष - 2024
भारत सरकार द्वारा विनिर्देशन हेतु राशि रु 126.00 करोड़ उपलब्ध कराई गयी।

वर्ष 2025
कचरे का निष्पादन हुआ।

3 दिसंबर 1984
यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL) के भोपाल स्थित कोटनाशक कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ। लगभग 8 लाख लोग इस गैस के संपर्क में आए। अनुमानों के अनुसार 15,000 लोगों की मृत्यु हुई। अन्य कई लोगों पर गैस के दुष्प्रभाव अनुवर्षिक (जेनेटिक) रूप से पड़े।

4 दिसंबर 1984
यूनियन कार्बाइड के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कंपनी के चैयरमैन वॉरेन एंडरसन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया और विदेश भागने में मदद की गई।

6 दिसंबर 1984
मामले को सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) को सौंप दिया गया।

1985
भारत सरकार ने एक अमेरिकी अदालत में यूनियन कार्बाइड से 3.3 अरब डॉलर के हर्जाने का दावा किया।

1 दिसंबर 1987
जांच के बाद सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 भाग (II) (गैर-इरादतन हत्या, जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती), धारा 326 (खतरनाक हथियारों या साधनों से गंभीर चोट पहुंचाना) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए गए।

1989
भारत सरकार और यूनियन कार्बाइड के बीच अदालत के बाहर समझौता हुआ। यूनियन कार्बाइड ने 470 मिलियन डॉलर का भुगतान किया।

1992
470 मिलियन डॉलर की राशि का एक हिस्सा पीड़ितों में वितरित किया गया। वॉरेन एंडरसन को अदालत के समन की अनदेखी करने के कारण भगोड़ा घोषित किया गया।

सीएम का कांग्रेस पर हमला

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को राहुल गांधी के इंदौर दौरे के बीच कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि पार्टी ने 1984 की भयानक भोपाल गैस त्रासदी के केंद्र में रही यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के सीईओ वॉरेन एंडरसन को उस समय भागने दिया था। दुनिया की सबसे खराब औद्योगिक आपदा मानी जाने वाली इस लीक के बाद एंडरसन भोपाल आए थे, लेकिन जल्द ही अमेरिका चले गए और उन पर कभी मुकदमा नहीं चला। डॉ. यादव ने पत्रकारों से कहा, कांग्रेस ने न सिर्फ यहां लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, बल्कि यूनियन कार्बाइड के मालिक एंडरसन को भागने में मदद करके और भी बड़ा पाप किया। कांग्रेस के नेताओं ने उसके भागने में मदद करने में बड़ी भूमिका निभाई। राहुल गांधी को उस शासनकाल के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए जब उनकी दादी और पिता सत्ता में थे और जिम्मेदार थे।

भोपाल गैस त्रासदी के प्रभाव

- हजारों लोग स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हुए, जिनमें श्वसन संबंधी समस्याएं, खुली त्वचा पर रासायनिक जलन, आंखों की क्षति और स्थायी अंधापन शामिल हैं।
- भोपाल के अस्पताल अचानक बढ़े मरीजों की संख्या को संभालने के लिए तैयार नहीं थे। डॉक्टरों को एमआईसी विषाक्तता के इलाज के बारे में जानकारी का अभाव था, जिसके परिणामस्वरूप चिकित्सा हस्तक्षेप में देरी हुई या अनुचित उपचार दिए गए।
- संयंत्र से रिसाव हुई गैस और अन्य विषैले रसायनों ने मिट्टी और भूजल को प्रदूषित कर दिया। जल स्रोत दूषित हो गए, जिससे उन पर निर्भर रहने वाले लोगों और जानवरों के स्वास्थ्य पर असर पड़ा।
- कारोबार बंद होने से स्थानीय उद्योग और आजीविका बाधित हो गई, कई पीड़ित काम पर वापस नहीं लौट पाए, जिसके परिणामस्वरूप गरीबी फैल गई।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स - कृपया फॉलो करें

राहत

डॉ. मोहन यादव सरकार द्वारा गैस पीड़ित परिवारों का सामाजिक पुनर्वास

गैस पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं

पर्यावरणीय पुनर्वास

- यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर, भोपाल स्थित 337 मीट्रिक टन अपशिष्ट पदार्थों के विनिर्देशन हेतु निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर सफलतापूर्वक किया गया। मेसर्स पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध निष्पादित किया गया। मेसर्स पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, पीथमपुर, जिला-धार द्वारा संचालक दिनांक 2 जनवरी 2025 तक पैकिंग, लोडिंग एवं परिवहन की कार्यवाही कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। मेसर्स

सामाजिक सुरक्षा पेंशन

- गैस पीड़ित विधवाओं (कल्याणी) महिलाओं को राज्य शासन द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन कार्यक्रम अंतर्गत मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अतिरिक्त गैस राहत विभाग द्वारा राशि रुपये 1000/- प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन के रूप में भुगतान की जा रही है।
- वर्तमान में 4334 गैस पीड़ित विधवाओं (कल्याणियों) को पेंशन प्रदान की जा रही है।

पैथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, पीथमपुर जिला-धार द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नियामांनी में दिनांक 03/07/2025 को अपशिष्ट पदार्थों को जलाये जाने की कार्यवाही पूर्ण की गयी।

स्वास्थ्य का ध्यान

- राज्य सरकार द्वारा भोपाल गैस पीड़ितों और उनके बच्चों को आयुष्मान निरामयम मध्य प्रदेश योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत भोपाल के गैस पीड़ितों एवं उनके बच्चों के आयुष्मान काई बनाए जा रहे हैं, अभी तक लगभग 33180 भोपाल के गैस पीड़ितों एवं उनके बच्चों के आयुष्मान काई बनाए जा चुके हैं और यह एक सतत किया है।
- भोपाल गैस पीड़ित मरीजों एवं उनके बच्चों को भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग अंतर्गत संचालित 06 चिकित्सालयों एवं 09 औषधालयों में चिकित्सकीय सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध।
- भोपाल गैस पीड़ित मरीज एवं उनके बच्चों को कैंसर उपचार हेतु गैस राहत विभाग द्वारा अनुबंधित 03 निजी चिकित्सालय एवं एम्स भोपाल के साथ अनुबंध किया जाकर उनको निःशुल्क कैंसर उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है।
- गैस राहत विभाग द्वारा गैस पीड़ित मरीजों एवं उनके बच्चों के किडनी रोग गंभीर मरीजों के उपचार के लिये कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल में डायलिसिस यूनिट की स्थापना की गई है।